आर.एन.आर.

आदर्श कुमार गोयल जे. के समक्ष

तरूण भार्गव-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.आर.एल. एम. नं. 24270/एम/1999

29 मई, 2002

अनुबंध अधिनियम, 1872- एस.एस. 172 एवं 176- भारतीय दंड संहिता, 1860 एस.एस. 392/323/506/120-बी-शिकायतकर्ता ने फाइनेंसर के माध्यम से वाहन खरीदा-दोनों पक्षों के बीच किराया खरीद समझौता केवल एक ऋण समझौता है-शिकायतकर्ता वाहन का वास्तविक/पंजीकृत मालिक है और याचिकाकर्ता केवल एक फाइनेंसर - फाइनेंसर के अधिकार एक हाइपोथेकेटी के

समान होते हैं - एक हाइपोथेकेटी जबरन और शारीरिक रूप से बंधक वस्तु पर कब्जा नहीं कर सकता है - पहले से भुगतान की गई किश्तों को जब्त करने की अनुमति देने वाले समझौते में शामिल किए गए खंड शून्य माने जाते हैं - लेनदार उसे केवल शेष राशि वसूलने का अधिकार है - कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना जबरन संपत्ति छीनने के लिए फाइनेंसर आपराधिक रूप से उत्तरदायी है - शिकायतकर्ता सुपरडारी पर वाहन पाने का हकदार है - फाइनेंसर के खिलाफ दायर शिकायत को कायम रखने योग्य माना गया है और इसे रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। बर्खास्त किये जाने योग्य.

अभिनिर्धारित

(ए) एक किराया-खरीद समझौता वास्तव में एक ऋण लेनदेन हो सकता है और ऐसे समझौते की शर्तें निर्णायक नहीं हैं। यह निर्धारित करना न्यायालय के लिए खुला है कि कोई विशेष समझौता ऋण लेनदेन है या किराया-खरीद समझौता है। लागू किए जाने वाले पैरामीटर, अन्य बातों के अलावा, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम केरल राज्य और अन्य, एआईआर 1966 एससी 1178 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इस समझौते को किराया-खरीद समझौता कहा जाता है, लेकिन यह कायम है। एक ऋण समझौता होना.

(बी) बंधक आधार पर माल के वित्तपोषण के लिए एक ऋण समझौते में, ऋणदाता बंधक वस्तु को जबरन वापस नहीं ले सकता है, हालांकि वह न्यायालय के माध्यम से सुरक्षा लागू कर सकता है...

(सी) यदि हाइपोथेकेटी द्वारा किसी वाहन या किसी अन्य सामान के पुनर्ग्रहण को अधिकृत करने वाले समझौते में एक विशिष्ट खंड डाला गया है, तो ऐसा खंड अनुचित हो सकता है, जब तक कि हाइपोथेकेटी द्वारा अन्यथा नहीं दिखाया गया हो और वर्तमान मामले में डाला गया ऐसा खंड माना जाता है शून्य हो. समझौते में, पहले से भुगतान की गई किश्तों को जब्त करने की अनुमति देने वाले खंड 4 और खंड 7 को शून्य माना जाएगा।

(डी) न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना जबरन कब्जा करने में अपराध शामिल हो सकता है और कौन सा अपराध किया गया है यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। भाड़े खरीद के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह मानना कि किराया खरीद समझौते में, मालिक अपनी संपत्ति की चोरी का दोषी नहीं हो सकता है, उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां लेनदेन, वास्तव में, एक ऋण लेनदेन है, जैसे कि ऋण लेनदेन में, स्वामित्व होगा उधारकर्ता और किराया खरीद समझौते पर लागू सिद्धांत लागू नहीं होंगे।

-हेमंत कुमार, याचिकाकर्ता के वकील

प्रतिवादी की ओर से राजेश भारद्वाज, एएजी हरियाणा

निर्णय

आदर्श कुमार गोयल, जे.

(1) यह याचिका भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, संहिता) की धारा 392/323/506/120-बी, पुलिस स्टेशन सिटी गुड़गांव के तहत एफआईआर संख्या 1237, दिनांक 24 अक्टूबर, 1997 को रद्द करने के लिए दायर की गई है। .

(2) उपरोक्त एफआईआर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दर्ज की गई थी। प्रतिवादी नंबर 2 (बाद में शिकायत के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर एक शिकायत पर, जिसमें यह कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने रुपये में एक कार खरीदी थी। अगस्त, 1995 में आरोपी याचिकाकर्ता (इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) के माध्यम से 2,44,603 रुपये की प्रारंभिक राशि का भुगतान किया। 52,511 और रुपये की 26 किश्तों का भुगतान किया। प्रत्येक राशि 8944 रु. 2,32,544 और यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा 20 अक्टूबर 1997 तक किस्तों के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई थी, याचिकाकर्ता अन्य लोगों के साथ शिकायतकर्ता के स्थान पर गया और डुप्लीकेट चाबी का उपयोग करके उससे कार छीन ली जो आरोपी के पास थी। .

आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता कार का पंजीकृत मालिक था और हालांकि उसने कार ले जाने पर आपत्ति जताई, लेकिन याचिकाकर्ता ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और शिकायतकर्ता को धक्का दिया और जबरन कार छीन ली। यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता को उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत आगे बढ़ाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने संहिता की धारा 323/506/392/120-बी के तहत अपराध किया। आगे कहा गया कि हालांकि आरोपी ने आश्वासन दिया था कि संबंधित कागजात और कार की दूसरी चाबी शिकायतकर्ता को दे दी जाएगी, लेकिन शिकायतकर्ता को कोई कागज और कार की दूसरी चाबी नहीं सौंपी गई।

(3) इस न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता कंपनी एक फाइनेंसर का व्यवसाय कर रही थी और उसने एक समझौता किया था जिसके तहत यदि लगातार दो से अधिक चूक होती हैं, तो फाइनेंसर वाहन का कब्ज़ा ले सकता है। . यह भी कहा गया है कि वाहन के कब्जे के अलावा, याचिकाकर्ता वित्त कंपनी रुपये की शेष राशि की भी हकदार थी। 1,10,796.95 पैसे और कार को कब्जे में लेने का कार्य संहिता की धारा 392 के तहत अपराध नहीं था और न ही संहिता की धारा 323/506/120-बी के तहत अपराध किया गया कहा जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा पोस्ट डेटेड चेक दिए गए थे और मई, 1997 के बाद चेक बाउंस हो गए थे, जिसके लिए 28 सितंबर, 1997 को नोटिस दिया गया था और याचिकाकर्ता ने नेगोशिएबल की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की थी। चेक के अनादरण के लिए लिखत अधिनियम, 1881, जो लंबित था। शिकायत को याचिका के साथ अनुलग्नक पी-11 के रूप में संलग्न किया गया है, जो इस संस्करण का समर्थन नहीं करता है और दर्शाता है कि अस्वीकृत चेक 28 दिसंबर, 1997, 28 जनवरी, 1998 और 28 फरवरी, 1998 की तारीख के हैं, जो सभी पुनर्ग्रहण की तारीख के बाद के हैं। , 20 अक्टूबर, 1997 के बाद। आगे कहा गया है कि

शिकायतकर्ता ने एक सिविल मुकदमा दायर किया है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी-8 है। उक्त मुकदमे के वादपत्र, अनुलग्नक पी-8 के संदर्भ से पता चलता है कि शिकायतकर्ता का मामला यह था कि याचिकाकर्ता ने 31 खाली अदिनांकित हस्ताक्षरित चेक दिए थे। कार के वित्तपोषण के प्रस्ताव पर, शिकायतकर्ता/वादी को इस आश्वासन के साथ खाली समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था कि समझौते की एक प्रति शिकायतकर्ता को दी जाएगी, जो कभी नहीं दी गई थी; वादी को समझौते का सारांश दिया गया, जो सहमत शर्तों के अनुसार नहीं था; हालाँकि सभी किश्तें नियमित रूप से चुकाई गई थीं, फिर भी वाहन अवैध रूप से छीन लिया गया और वाहन की माँग करने पर शिकायतकर्ता को धमकियाँ दी गईं। जिसके कारण शिकायत दर्ज की गई और शिकायत कार्यवाही में, वादी को सुपरडारी पर वाहन का कब्ज़ा दे दिया गया है। एक घोषणा की मांग की गई है कि पार्टियों के बीच समझौता शून्य और शून्य था।

(4) याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने एक समझौते के तहत काम किया था, जिसकी एक प्रति संलग्नक पी-1 थी और उक्त समझौते के तहत, स्वामित्व याचिकाकर्ता के पास था और याचिकाकर्ता किसी भी समय वाहन पर कब्ज़ा कर सकता है, उसे ज़ब्त कर सकता किश्तों का भुगतान कर सकता है और शेष राशि की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकता है । शिकायतकर्ता को केवल कुछ शर्तों पर वाहन का उपयोग करने का अधिकार है और समझौते के तहत, याचिकाकर्ता के पास यह मानने का एकतरफा अधिकार था कि शर्तों का उल्लंघन हुआ है और शिकायतकर्ता को नोटिस दिए बिना वाहन को वापस ले सकता है।

(5) याचिकाकर्ता के वकील ने **इंस्टालमेंट सप्लाई (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ**,[1] में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया। (1) **मैसर्स के.एल. जौहर एंड कंपनी बनाम. उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोयंबटूर III**[2] (2) **द इंस्टालमेंट सप्लाई लिमिटेड बनाम। एस.टी.ओ. अहमदाबाद और अन्य**,[3] (3) **सुंदरम। फाइनेंस लिमिटेड बनाम. केरल राज्य और दूसरा** [4](4) **सरदार त्रिलोक सिंह बनाम। सत्यदेव त्रिपाठी** [5](5) **के.ए. मथाई बनाम. कोरा बिब्बिकुट्टी** [6](6) **मणिपाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लिमिटेड बनाम. टी. बंगरप्पा और अन्य** [7](7) और **चरणजीत सिंह चड्ढा बनाम। सुधीर मेहरा** [8](8).

(6) राज्य के वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि धारा 482 सीआर के तहत याचिका पर विचार करने के उद्देश्य से। पी.सी. शिकायत में आरोपों को सही माना जाना चाहिए और आरोपी द्वारा स्थापित बचाव को स्वीकार करके कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी समझौते पर लगाया गया लेबल, जो वास्तव में एक ऋण समझौता हो सकता है, इस बात का निर्णायक नहीं हो सकता कि वह समझौता किराया खरीद समझौता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना किसी भी पक्ष को जबरन कब्ज़ा करने का एकतरफा अधिकार प्रदान करना सार्वजनिक नीति के लिए अनुकूल नहीं होगा क्योंकि इससे किसी कमजोर पक्ष का सिर फोड़ दिया जा सकता है या उसे पीड़ित किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता वाहन का पंजीकृत मालिक था और उसने ऋण वापस

---

[1] AIR 1992 SC 53
[2] AIR 1965 SC 1082
[3] AIR 1974 SC 1105
[4] AIR 1966 SC 1178
[5] AIR 1979 SC 850
[6] 1996 (7) SCC 212
[7] 1994 Supp. (1) SCC 507
[8] 2001 (7) SCC 417

चुकाने का दावा किया था। एक फाइनेंसर को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि ऋण नहीं चुकाया गया है और इसलिए, फाइनेंसर अवैतनिक राशि का दावा करने के अलावा वाहन पर जबरन कब्जा करने का हकदार नहीं है।

(7) निम्नलिखित प्रश्न विचारार्थ उठते हैं:-

(1) क्या विचाराधीन समझौता, अनुबंध पी-1, जिसे किराया खरीद समझौता कहा जाता है, वास्तव में एक ऋण समझौता है?

(2) यदि उपरोक्त समझौता एक ऋण समझौता है, तो क्या पार्टियों के अधिकार अलग-अलग होंगे और यदि हां, तो किस हद तक?

(3) (ए) क्या समझौते का खंड 7, याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई सभी किस्तों को जब्त करने में सक्षम बनाता है और फाइनेंसर को घर या उस स्थान में प्रवेश करने का अधिकार देता है, जहां वाहन है, जब्त करने, हटाने और कब्जा वापस लेने के लिए वैध है ?

(बी) क्या समझौते का खंड 7, जो याचिकाकर्ता को समझौते के खंड 4 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा वाहन जब्त करने या शिकायतकर्ता द्वारा आत्मसमर्पण करने पर क्रेडिट देने से इनकार करने या पहले से किए गए भुगतान को बंद करने की अनुमति देता है, वैध है?

(4) याचिकाकर्ता/फाइनेंसर द्वारा अनुचित कब्ज़े के खिलाफ शिकायतकर्ता का उपाय क्या है? और

(5) क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द की जा सकती है?

(8) प्रश्नगत समझौते के खंड 4 और 7 इस प्रकार हैं:-

"4. यदि किराएदार इस समझौते के जारी रहने के दौरान निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करेगा या भुगतेगा, अर्थात:

(ए) निर्धारित समय के भीतर भर्ती की किसी भी किश्त का भुगतान करने में विफल रहेगा, चाहे मांग की गई हो या नहीं;

(बी) दिवालिया हो गया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है;

(सी) वाहन/वाहनों को गिरवी रखना या बेचना या गिरवी रखने का प्रयास करना या बेचना या अन्यथा अलग करना या हस्तांतरित करना;

(डी) कोई ऐसा कार्य या चीज़ करना या सहना जिसके परिणामस्वरूप या जिसके परिणामस्वरूप उक्त वाहन को रोक दिया जाए, जब्त कर लिया जाए या ले लिया जाए। कानूनी प्रक्रिया के तहत निष्पादन में;

(ई) यहां निहित अपनी ओर से किसी भी शर्त को तोड़ना या पालन करने में असफल होना;

तब और ऐसे मामलों में इस समझौते के तहत किराएदार के अधिकारों को तुरंत बिना किसी नोटिस के स्वतः ही निर्धारित किया जाएगा और किराएदार द्वारा पहले भुगतान की गई सभी किश्तें मालिक को पूरी तरह से जब्त कर ली जाएंगी, जो उसके बाद किसी भी प्रवेश का हकदार होगा। वह घर या स्थान जहां उक्त वाहन हो सकते हैं और जब्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं और उस पर कब्ज़ा वापस ले सकते हैं और देय सभी किश्तों के लिए और समझौते के उल्लंघन के लिए नुकसान के लिए और उक्त वाहन का कब्ज़ा वापस लेने की सभी लागतों के लिए मुकदमा कर सकते हैं और सभी लागतें किराएदार की डिफ़ॉल्ट के कारण उत्पन्न हुईं।

7. यदि मालिक को वाहन/गाड़ियों को जब्त कर लेना चाहिए और उसके खंड 4 के तहत उन्हें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए; या यदि किराएदार को किसी भी समय इसके खंड 5 के तहत इसे वापस करना चाहिए, तो किराएदार ऐसी जब्ती या वापसी की तारीख तक किराए की बकाया राशि के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी रहेगा और किसी भी आधार पर किसी भी भत्ते का हकदार नहीं होगा। , पहले किए गए भुगतानों के लिए क्रेडिट या सेट-ऑफ़।"

(9) चूंकि प्रश्न संख्या 5, जो कि वर्तमान याचिका का अंतिम प्रश्न है, का उत्तर पहले चार प्रश्नों पर आधारित है, मैं पहले उपरोक्त चार प्रश्नों पर विचार करूंगा।

(10) पहला सवाल यह है कि क्या पार्टियों के बीच समझौता ऋण समझौता है या किराया खरीद समझौता है। पार्टियों के बीच समझौते को अनुलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को मालिक के रूप में वर्णित किया गया है और शिकायतकर्ता को किराएदार के रूप में वर्णित किया गया है। खंड 4 भुगतान की गई सभी किस्तों को जब्त करने का प्रावधान करता है, यदि किराएदार किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है या उक्त खंड में उल्लिखित अन्य चूक करता है और मालिक वाहन का कब्जा लेने का हकदार होगा। खंड 8 में प्रावधान है कि किराये पर लेने वाले को अनुमति दी जाएगी वाहन को अपने नाम पर पंजीकृत करवाने की। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवाल उठाया गया था कि क्या एक वित्त कंपनी किराया खरीद के आधार पर माल स्थानांतरित करने पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, क्योंकि इस तरह के हस्तांतरण को बिक्री माना जाएगा। एक समान समझौते की व्याख्या करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पार्टियों का इरादा केवल भुगतान सुरक्षित करना प्रतीत होता है और किराया खरीद का लेबल निर्णायक नहीं था और किराया खरीद समझौते को केवल ऋण समझौते के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

(11) मेरा विचार है कि वर्तमान समझौता भी केवल एक ऋण समझौता था और स्वामित्व शिकायतकर्ता के पास था और याचिकाकर्ता केवल एक फाइनेंसर था।

(12) किराया खरीद समझौता वह है जिसके तहत एक मालिक किराए पर सामान लेता है, जिससे किराएदार को सामान खरीदने का विकल्प मिलता है। दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति पैसा उधार लेता है और विक्रेता को भुगतान करता है, तो ग्राहक और ऋणदाता के बीच लेनदेन ऋण लेनदेन होगा। किराया खरीद समझौते में, किराये पर लेने वाला खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। जहां ग्राहक स्वयं मालिक है और अपनी खरीद को वित्तपोषित करने की दृष्टि से, वह किराया खरीद समझौते के रूप में एक व्यवस्था में प्रवेश करता है, यह एक ऋण लेनदेन होगा। वर्तमान याचिकाकर्ता मोटर वाहनों का डीलर नहीं है, लेकिन वित्त के स्वतंत्र व्यवसाय में है। खरीदा गया वाहन शिकायतकर्ता के नाम पर है और शिकायतकर्ता ही वाहन का असली मालिक है। इसके अलावा, रद्द करने की कार्यवाही में शिकायत में दिए गए कथनों को सही माना जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता मालिक था और यदि आरोपी याचिकाकर्ता इस कथन पर विवाद करना चाहता है और दावा करता है कि शिकायतकर्ता मालिक नहीं था, तो ऐसा कथन नहीं हो सकता है स्वीकार किया जाता है, खासकर जब समझौता वास्तव में एक ऋण समझौता प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में इसी तरह के समझौते पर विचार किया गया था, जिसमें बहुमत का विचार था कि ऐसा समझौता एक ऋण समझौता होगा। शाह जे. ने बहुमत की ओर से निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि समझौता नाममात्र राशि के भुगतान पर किसी विकल्प के प्रयोग पर विचार नहीं करता है जैसा कि अन्य किराया खरीद समझौतों में पाया जाता है। वचन पत्र, किराया खरीद समझौते और अन्य दस्तावेज़ का निष्पादन , हमारे निर्णय में, संकेत मिलता

है कि यह इरादा था कि पार्टियों को ग्राहक द्वारा अपीलकर्ताओं को वाहन में कोई भी ब्याज हस्तांतरित नहीं करना था: इसका उद्देश्य अपीलकर्ताओं के पक्ष में वाहन को गिरवी रखकर सुरक्षा प्रदान करना और ग्राहक द्वारा विभिन्न कठिन शर्तों के तहत जमा किए गए उन्नत ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना था। किराया खरीद समझौता.

"इन सिद्धांतों के आलोक में अब अपीलकर्ताओं के लेनदेन की वास्तविक प्रकृति बताई जा सकती है। अपीलकर्ता फाइनेंसरों का व्यवसाय कर रहे हैं: वे मोटर वाहनों का कारोबार नहीं कर रहे हैं। ग्राहक द्वारा खरीदा गया मोटर वाहन पंजीकृत है ग्राहक का नाम और हर समय उसके नाम पर पंजीकृत रहता है। ग्राहक से लिए गए पत्र में जिसके तहत ग्राहक वाहन को बीमाकृत रखने के लिए सहमत होता है, यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि वाहन को उन्नत ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में दिया गया है अपीलकर्ताओं द्वारा। ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में। ग्राहक अपीलकर्ताओं द्वारा वाहन के डीलर को भुगतान की गई राशि के लिए एक वचन पत्र निष्पादित करता है। तथाकथित 'बिक्री पत्र' एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे प्रभावी नहीं बनाया गया है वाहन को अपीलकर्ताओं के नाम पर पंजीकृत करके और यहां तक कि वाहन का बीमा भी इस तरह किया जाना चाहिए जैसे कि ग्राहक मालिक है। वाहन को जब्त करने का उनका अधिकार केवल उनके खरीद समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक लाइसेंस है . ग्राहक दुनिया भर में मालिक के रूप में बना रहता है और उसके कब्जे में रहता है, और अनुबंधों को पूरा करने की शर्त पर उसे कब्जे में बने रहने का अधिकार है। भुगतान के लिए निर्धारित तिथियों से पहले भी किराया खरीद समझौते की शर्तों के तहत देय राशि का भुगतान करने से अपीलकर्ताओं का अधिकार समाप्त हो सकता है। समझौते में निस्संदेह कई कठिन अनुबंध शामिल हैं, लेकिन उन सभी का उद्देश्य अपीलकर्ताओं से अग्रिम राशि की वसूली सुनिश्चित करना है।

तदनुसार हमारा विचार है कि किराया खरीद और संबद्ध समझौतों को प्राप्त करने में अपीलकर्ताओं का इरादा यह सुरक्षित करना था कि पार्टियों को ग्राहक द्वारा अपीलकर्ताओं को वाहन में कोई भी ब्याज हस्तांतरित नहीं करना था: इसका उद्देश्य अपीलकर्ताओं के पक्ष में वाहन को गिरवी रखकर सुरक्षा प्रदान करना और ग्राहक द्वारा विभिन्न कठिन शर्तों के तहत जमा किए गए उन्नत ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना था। किराया खरीद समझौता.

"इन सिद्धांतों के आलोक में अब अपीलकर्ताओं के लेनदेन की वास्तविक प्रकृति बताई जा सकती है। अपीलकर्ता फाइनेंसरों का व्यवसाय कर रहे हैं: वे मोटर वाहनों का कारोबार नहीं कर रहे हैं। ग्राहक द्वारा खरीदा गया मोटर वाहन पंजीकृत है ग्राहक का नाम और हर समय उसके नाम पर पंजीकृत रहता है। ग्राहक से लिए गए पत्र में जिसके तहत ग्राहक वाहन को बीमाकृत रखने के लिए सहमत होता है, यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि वाहन को उन्नत ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में दिया गया है अपीलकर्ताओं द्वारा। ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में। ग्राहक अपीलकर्ताओं द्वारा वाहन के डीलर को भुगतान की गई राशि के लिए एक वचन पत्र निष्पादित करता है। तथाकथित 'बिक्री पत्र' एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे प्रभावी नहीं बनाया गया है वाहन को अपीलकर्ताओं के नाम पर पंजीकृत करके और यहां तक कि वाहन का बीमा भी इस तरह किया जाना चाहिए जैसे कि ग्राहक मालिक है। वाहन को जब्त करने का उनका अधिकार केवल उनके खरीद समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक लाइसेंस है . ग्राहक दुनिया भर में मालिक के रूप में बना रहता है और उसके कब्जे में रहता है, और अनुबंधों को पूरा करने की शर्त पर उसे कब्जे में बने रहने का अधिकार है। भुगतान के लिए निर्धारित तिथियों से पहले भी किराया खरीद समझौते की शर्तों के तहत देय राशि का भुगतान करने से अपीलकर्ताओं का अधिकार समाप्त हो सकता है। समझौते में निस्संदेह कई कठिन अनुबंध शामिल

हैं, लेकिन उन सभी का उद्देश्य अपीलकर्ताओं से अग्रिम राशि की वसूली सुनिश्चित करना है। तदनुसार हमारा विचार है कि किराया खरीद और संबद्ध समझौतों को प्राप्त करने में अपीलकर्ताओं का इरादा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण की वापसी सुरक्षित करना था और ग्राहक द्वारा अपीलकर्ताओं को वाहन की कोई वास्तविक बिक्री का इरादा नहीं था। लेन-देन केवल वित्तपोषण लेन-देन थे।"

(13) वर्तमान मामला सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले के समान प्रतीत होता है। इसलिए, मेरा विचार है कि यद्यपि समझौते को किराया खरीद वित्त समझौते के रूप में लेबल किया गया है, समझौता एक ऋण लेनदेन है।

(14) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने फुल बस सेवा बनाम में इस न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया। **वित्तीय आयुक्त, कराधान, पंजाब** [9](9) **और पन्ना लाल बनाम श्री चंद मल**[10], (10) **वसंत विश्वनाथन बनाम में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। वी.के. एलयालवार,** [11](11) **और डॉ. टी.वी. जोस बनाम। चाको पी.एम. अलियास थंकाचन,** [12](12), जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि भले ही किसी व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मालिक के रूप में दर्ज नहीं किया गया हो, फिर भी वह मालिक हो सकता है। इस कानूनी प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है. यह मानते हुए कि शिकायतकर्ता मालिक था, मैं केवल इस तथ्य पर नहीं जा रहा हूं कि उसे मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था, हालांकि यह एक प्रासंगिक

[9] 1968 ACJ 57
[10] 1980 ACJ 233
[11] 2001 (8) SCC 133
[12] 2001 (8) SCC 748

परिस्थिति है। इसी तरह, यह मानने के लिए कि याचिकाकर्ता मालिक नहीं था, मैं अकेले इस कारक से प्रभावित नहीं हूं कि याचिकाकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मालिक के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया स्वामित्व एक समझौते, अनुलग्नक पी-1 के आधार पर है, जिसे याचिकाकर्ता किराया खरीद समझौता होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में यह एक ऋण समझौता है और इस निष्कर्ष के कारण, शिकायतकर्ता मालिक और याचिकाकर्ता है एक फाइनेंसर/लेनदार है.

(15) चरणजीत सिंह चड्ढा के मामले (सुप्रा) में, शीर्ष अदालत ने किराया खरीद समझौते की प्रकृति पर विचार किया। उस मामले में, यह तथ्य कि पार्टियों के बीच किराया खरीद समझौता था, एक स्वीकृत तथ्य था, जैसा कि निर्णय के पैरा 4 से स्पष्ट होगा। सवाल यह है कि क्या किराया खरीद समझौता वास्तव में एक ऋण लेनदेन था, यह मुद्दा नहीं था। यह माना गया कि किराया खरीद समझौते में एक किराएदार केवल उपयोग के लिए माल का भुगतान कर रहा है और स्वामित्व फाइनेंसर के पास रहता है, जो मालिक है। सरदार त्रिलोक सिंह मामले (सुप्रा) और के.ए. मामले में शीर्ष न्यायालय के पहले के फैसलों का भी संदर्भ दिया गया था। मथाई का मामला (सुप्रा) और यह माना गया कि जब कोई फाइनेंसर किसी वाहन पर कब्ज़ा कर लेता है, तो वह कोई अपराध नहीं करता है। चरणजीत सिंह चड्ढा के मामले (सुप्रा) और अन्य दस्तावेजों में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति के मद्देनजर, मुझे याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता मालिक है और यदि पार्टियों के बीच समझौता है किराया खरीद समझौते के तहत यह नहीं कहा जा सकता कि उसने समझौते के मुताबिक कब्जा लेने में कोई अपराध किया है, लेकिन ऐसा नहीं है।

(16) पहला प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है।

(17) अब, मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। मेरे विचार में, यदि लेन-देन ऋण लेन-देन है, तो परिणाम भिन्न होंगे। एक ऋण लेनदेन के तहत, याचिकाकर्ता मालिक नहीं होगा, बल्कि एक मात्र ऋणदाता होगा और समझौता ऋण के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए एक समझौता होगा।

(18) अनुबंध अधिनियम (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 172 माल की गिरवी से संबंधित है और अधिनियम की धारा 176 के तहत, एक गिरवीदार, जिसके पास माल गिरवी रखा गया है, मुकदमा लाने और माल को बनाए रखने का हकदार है। संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में या उचित नोटिस देने के बाद भी सामान बेचने के लिए। अधिनियम की धारा 176 के अनुसार गिरवी रखने वाले को गिरवी रखने वाले को ऋण की वसूली के बाद सुरक्षा की आय में से अधिशेष वापस करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान प्रकृति का ऋण लेनदेन माल के बंधक पर ऋण के समान होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गिरवी के मामले में, गिरवी रखने वाले को अधिकार है, जैसा कि अधिनियम की धारा 176 के तहत मान्यता प्राप्त है, गिरवी रखने वाले के खिलाफ मुकदमा लाने और माल को सुरक्षा के रूप में रखने या गिरवी रखे गए माल को गिरवी रखने वाले को उचित मूल्य देने पर बेचने का अधिकार है। बिक्री की सूचना. यह अधिकार अधिनियम की धारा 176 के तहत मान्यता प्राप्त है।

(19) प्रश्न यह है कि क्या दृष्टिबंधन प्रतिज्ञा के समान स्तर पर है।

(20) **केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम डंकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता** [13](13), में शीर्ष न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि:

"जब कोई सामान किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखा जाता है, तो उस सामान का स्वामित्व अभी भी उस व्यक्ति के पास रहता है जिसने ऐसे सामान को गिरवी रखा है। जिस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात किया जा सकता है, वह आवश्यक रूप से किसी व्यक्ति की संपत्ति होनी चाहिए अभियुक्त के अलावा इसमें लाभकारी हित या स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति का होना चाहिए और अपराधी को ऐसी संपत्ति ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए या अपने लाभ के लिए ट्रस्ट में रखनी चाहिए। गिरवी के मामले में, गिरवी रखी गई वस्तु किसी अन्य व्यक्ति की होती है लेकिन उसे गिरवीदार द्वारा अमानत में रखा जाता है।"

(21) जबकि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना गिरवी रखे गए माल को बेचने के गिरवीदार के अधिकार को अधिनियम की धारा 176 के तहत वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, यह बंधक माल के संबंध में और यहां तक कि व्यापारिक उपयोग, गिरवी और यहां तक कि उक्त प्रावधान के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। हाइपोथेकेटी के अलग-अलग अर्थ होते हैं और हालांकि कुछ मामलों में गिरवीदार और हाइपोथेकेटी एक ही पायदान पर खड़े हो सकते हैं, मुझे यह विचार करने का

[13] AIR 1996 SC 2452 para 27

कोई औचित्य नहीं दिखता कि अदालत के हस्तक्षेप के बिना बिक्री के मामले में, गिरवीदार एक ही पायदान पर खड़े होंगे। बंधक के रूप में पैर जमाना।

(22) इस सवाल पर मतभेद रहा है कि क्या न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बिक्री के मामले में गिरवी का स्तर गिरवी के समान है, मुझे गिरवी रखने वाले और गिरवी रखने वाले के अधिकार में अंतर करने के लिए वैध कारण मिलते हैं। हाइपोथेकेटर को हाइपोथेकेटर की इच्छाओं के विरुद्ध भौतिक रूप से हाइपोथेकेटर को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति देने से, हाइपोथेकेटर को माल के उपयोग से वंचित करके उसके बचाव से वंचित कर दिया जाएगा, भले ही उसका दावा हो कि वह ऐसा करता है। कोई पैसा बकाया नहीं है. एक उधारकर्ता आर्थिक रूप से नुकसानदेह स्थिति में है और यदि दो व्याख्याएं संभव हैं, तो जो उधारकर्ता के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाता है उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेनदार के पास निश्चित रूप से मुकदमा दायर करने और मामला बनाकर अदालत के माध्यम से बंधक माल पर कब्जा करने का उपाय है, लेकिन बंधक को अपने एकतरफा फैसले पर शारीरिक रूप से और जबरन माल पर कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, जिसमें बंधक ने चूक की थी ऋण का भुगतान. जैसा कि वर्तमान मामले में पहले ही देखा जा चुका है, शिकायतकर्ता का मामला यह है कि वह नहीं था यहां तक कि उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, क्योंकि इसकी एक प्रति भी उन्हें नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने पहले ही खाली पोस्ट-डेटेड चेक ले लिया है और पहले से ही परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कार्यवाही दायर कर दी है।

(23) उपरोक्त कारणों से, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि यदि वर्तमान मामले में समझौते को एक ऋण समझौता माना जाता है और लेनदार के अधिकारों को हाइपोथीकेटी के अधिकारों के रूप में माना जाता है, तो समझौते के तहत पार्टियों के अधिकार अलग होंगे। जैसा कि पहले ही माना जा चुका है, एक हाइपोथेकेटर, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा पर कब्ज़ा नहीं कर सकता है, हालांकि उसे न्यायालय के माध्यम से बंधक संपत्ति पर कब्ज़ा करने या बेचने या सुरक्षा लागू करने के लिए हाइपोथेकेटर को नोटिस देने का अधिकार है।

(24) आगे यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या हाइपोथीकेटी सुरक्षा पर कब्ज़ा कर सकता है या न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उसे सुरक्षा पर कब्ज़ा करने और उसे बेचने के लिए अधिकृत करने वाले समझौते में एक खंड डालकर उच्च अधिकार प्राप्त कर सकता है। न्यायालय इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि विज्ञापन और उपभोक्तावाद के इन दिनों में, एक आम आदमी समाज में प्रदर्शन प्रभाव के कारण विलासितापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रलोभित होता है। उस वृत्ति के कारण, आसान ऋण के विज्ञापन का शिकार बनने का प्रलोभन होता है। एक बार जब आसान ऋण देने का वादा किया जाता है और सपने दिखाए जाते हैं, तो फाइनेंसर उधारकर्ता से बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करवाकर कर्जदार की गर्दन पर शिकंजा कस देता है। क्या 'अनुबंध करने की स्वतंत्रता' उस स्थिति का उत्तर है, जिसमें एक आम आदमी बिंदीदार रेखाओं पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद खुद को पाता है।

(25) उपरोक्त निष्कर्ष कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, पुनर्ग्रहण खंड के तहत हाइपोथीकेटी को बंधक वस्तुओं को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, उन घटनाओं द्वारा भी समर्थित है

जिनका विधायिका द्वारा संज्ञान लिया गया है, जो दर्शाता है कि सार्वजनिक नीति को सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है मनमाने ढंग से पुनर्ग्रहण धाराओं के विरुद्ध प्रदान किया जाना। मामला किराया खरीद लेनदेन के संदर्भ में चला गया है। हालाँकि क्या किराया खरीद समझौते में भी, पुनर्ग्रहण खंड वैध होगा और किस हद तक हो सकता है, यह एक अलग मामला है, क्योंकि यह पहले ही माना जा चुका है कि यद्यपि इसे किराया खरीद समझौते के रूप में कहा जाता है, वर्तमान मामले में लेनदेन एक ऋण लेनदेन था, घटनाक्रम इस दृष्टिकोण को पुष्ट करता है कि एक उधारकर्ता को मनमानी के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता है । यह नोट करना प्रासंगिक हो सकता है कि कानून आयोग ने अपनी 20वीं रिपोर्ट में, खरीद समझौतों के संबंध में दुरुपयोग और बुराइयों और किराए पर लेने वाले पर प्रतिकूल प्रभाव देखा, जो आम तौर पर लेनदेन के लिए एक कमजोर पक्ष है। इसने अपनी सिफारिशें कीं, जिसके परिणामस्वरूप किराया खरीद अधिनियम, 1972 लागू हुआ। हालांकि अधिनियम को लागू किया गया था, अधिनियम को लागू करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था और इसका प्रभाव यह हुआ कि अधिनियम लागू नहीं है। अधिनियम के तहत अदालतों के अलावा किसी अन्य तरीके से माल का कब्ज़ा लेने के लिए मालिक पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। मालिक धारा 18 के अनुसार अनुबंध को समाप्त कर सकता है और उसके बाद माल का कब्ज़ा ले सकता है और माल के मूल्य के विरुद्ध ऋण राशि को समायोजित कर सकता है और अधिशेष को किराए पर लेने वाले को वापस करना होगा। धारा 17(4) के तहत यह साबित करने का भार मालिक पर है कि यदि माल बेचा गया है तो उसके द्वारा प्राप्त कीमत, जब्ती की तारीख पर प्राप्त की जा सकने वाली सर्वोत्तम कीमत थी। धारा 20 मालिक के सीधे कब्ज़ा लेने के अधिकार को प्रतिबंधित करती है जहां किराया खरीद मूल्य का आधा पहले ही भुगतान किया जा चुका है, जहां कीमत 15,000 से अधिक है और जहां 3/4 का

भुगतान किया गया है जहां कीमत 15,000 से कम है। अधिनियम की धारा 17 से 23 इस प्रकार हैं-

17. मालिक द्वारा माल की जब्ती के मामले में किराये पर लेने वाले के अधिकार.- (1) जहां मालिक धारा 19 के खंड (सी) के तहत किराया-खरीद समझौते के तहत किराये पर दिए गए माल को जब्त कर लेता है, तो किराये पर लेने वाला मालिक से राशि की वसूली कर सकता है। यदि कोई हो, तो किराया-खरीद मूल्य निम्नलिखित राशियों की कुल राशि से कम हो जाता है, अर्थात्: -

(i) जब्ती की तारीख तक किराया-खरीद मूल्य के संबंध में भुगतान की गई राशि; (ii) जब्ती की तारीख पर माल का मूल्य।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जब्ती की तारीख पर किसी भी सामान का मूल्य सबसे अच्छी कीमत है जो मालिक द्वारा उस तारीख को माल के लिए निम्नलिखित राशियों के योग को घटाकर उचित रूप से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात्

i) माल जब्त करने के लिए मालिक द्वारा किया गया उचित खर्च:

ii) माल के भंडारण, मरम्मत या रखरखाव पर मालिक द्वारा उचित रूप से खर्च की गई कोई भी राशि

(iii) (चाहे माल बाद में बेचा गया हो या मालिक द्वारा अन्यथा निपटाया गया हो) माल बेचने या अन्यथा निपटाने का उचित खर्च: और

(iv) मालिक द्वारा बकाया करों और अन्य देय राशि के भुगतान के लिए खर्च की गई राशि, जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत माल के संबंध में देय है और जिसे किराए पर लेने वाला भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

(3) यदि मालिक इस धारा के प्रावधानों के तहत देय राशि या ऐसी राशि के किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उक्त राशि के भुगतान के लिए नोटिस की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर किराएदार को भुगतान किया जाता है। किराएदार द्वारा उस पर मालिक तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ऐसी राशि पर ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) जहां मालिक ने अपने द्वारा जब्त किए गए माल को बेच दिया है, यह साबित करने की जिम्मेदारी कि माल के लिए उसके द्वारा प्राप्त कीमत सबसे अच्छी कीमत थी जो जब्ती की तारीख पर उसके द्वारा उचित रूप से प्राप्त की जा सकती थी।

18. किराये के भुगतान में चूक या अनधिकृत कार्य या स्पष्ट शर्तों के उल्लंघन के लिए किराया-खरीद समझौते को समाप्त करने का मालिक का अधिकार।-(1) जहां किराये पर लेने वाला किराये के भुगतान में एक से अधिक चूक करता है जैसा कि किराया-खरीद में प्रदान किया गया है। तब समझौता, धारा 21 के प्रावधानों के अधीन और किराएदार को कम से कम लिखित में नोटिस देने के बाद-

(i) एक सप्ताह, ऐसे मामले में जहां किराया साप्ताहिक या उससे कम अंतराल पर देय है; और (ii) दो सप्ताह, किसी भी अन्य मामले में, मालिक किरायेदार को लिखित रूप में समाप्ति की सूचना देकर समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा:

बशर्ते कि यदि किराये पर लेने वाला मालिक को बकाया किराये के साथ-साथ उस पर ब्याज भी देता है या टेंडर देता है समझौते की शर्तों के तहत एक सप्ताह या, जैसा भी मामला हो, दो सप्ताह की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले भुगतान किया जा सकता है, मालिक समझौते को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(2) जहां एक किराएदार-

(ए) उस सामान के संबंध में कोई कार्य करता है जिससे समझौता संबंधित है जो समझौते की किसी भी शर्त के साथ असंगत है; या

(बी) एक स्पष्ट शर्त को तोड़ता है जो यह प्रदान करता है कि, इसके उल्लंघन पर, मालिक समझौते को समाप्त कर सकता है, मालिक धारा 22 के प्रावधानों के अधीन होगा, किरायेदार को लिखित रूप में समाप्ति की सूचना देकर समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा।

19. समाप्ति पर मालिक के अधिकार.-जहां इस अधिनियम के तहत किराया-खरीद समझौता समाप्त हो जाता है, तो मालिक हकदार होगा,-

(ए) जो किराया पहले ही भुगतान किया जा चुका है उसे बरकरार रखना और देय किराए की बकाया राशि की वसूली करना:

बशर्ते कि जब ऐसा माल मालिक द्वारा जब्त कर लिया जाता है, तो भाड़े का प्रतिधारण और देय भाड़े की बकाया राशि की वसूली धारा 17 के प्रावधानों के अधीन होगी;

(बी) धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, प्रारंभिक जमा राशि को जब्त करने के लिए, यदि समझौते में ऐसा प्रदान किया गया है;

(सी) धारा 17 और धारा 20 के प्रावधानों के अधीन और इसके विपरीत किसी भी अनुबंध के अधीन, किराएदार के परिसर में प्रवेश करने और सामान जब्त करने के लिए;

(डी) धारा 21 और धारा 22 के प्रावधानों के अधीन, धारा 20 के तहत आवेदन या मुकदमे द्वारा माल का कब्जा वापस पाने के लिए;

(ई) धारा 14 और धारा 15 की उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, माल की गैर-डिलीवरी के लिए नुकसान की तारीख से, जिस दिन समाप्ति होती है प्रभावी, उस तारीख से जिस दिन माल मालिक को वितरित किया जाता है या उसके द्वारा जब्त किया जाता है।

20. अदालत के अलावा अन्यथा माल का कब्जा वापस पाने के मालिक के अधिकार पर प्रतिबंध.- (1) जहां माल को किराया-खरीद समझौते के तहत किराए पर दिया गया है और किराया-खरीद मूल्य के वैधानिक अनुपात का भुगतान किया गया है, चाहे इसके अनुसरण में हो अदालत के फैसले या अन्यथा, या किराएदार या किसी ज़मानतदार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए, मालिक उप-धारा (3) के अनुसार या मुकदमे के अलावा किराएदार से माल का कब्ज़ा वापस पाने का कोई अधिकार लागू नहीं करेगा। .

स्पष्टीकरण। इस खंड में, "वैधानिक अनुपात" का अर्थ है, -

(i) आधा, जहां किराया-खरीद मूल्य पंद्रह हजार रुपये से कम है; और

(ii) तीन-चौथाई, जहां किराया-खरीद मूल्य पंद्रह हजार रुपये से कम नहीं है:

बशर्ते कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4) में परिभाषित मोटर वाहनों के मामले में, "वैधानिक अनुपात" का अर्थ होगा-

(i) आधा, जहां किराया-खरीद मूल्य पांच हजार रुपये से कम है;

(ii) तीन-चौथाई, जहां किराया-खरीद मूल्य पांच हजार रुपये से कम नहीं बल्कि पंद्रह हजार रुपये से कम है:

(iii) तीन-चौथाई या ऐसा उच्चतर अनुपात, जो नौ-दसवें हिस्से से अधिक न हो, जैसा कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है, जहां किराया-खरीद मूल्य पंद्रह हजार रुपये से कम नहीं है।

(2) यदि मालिक उप-धारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में माल का कब्ज़ा वापस ले लेता है, तो किराया-खरीद समझौता, यदि पहले समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त हो जाएगा, और-

(ए) किराएदार को समझौते के तहत सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा और वह मालिक से समझौते के तहत या उसके संबंध में उसके द्वारा दी गई किसी भी सुरक्षा के तहत भुगतान की गई सभी रकम वसूलने का हकदार होगा और

(बी) ज़मानत मालिक से गारंटी के अनुबंध के तहत या उसके संबंध में उसके द्वारा दी गई किसी भी सुरक्षा के तहत भुगतान की गई सभी रकम वसूलने का हकदार होगा।

(3) जहां, उप-धारा (1) के प्रावधानों के आधार पर, मालिक को माल पर कब्ज़ा वापस पाने के अधिकार को लागू करने से रोका जाता है, तो वह अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय में माल पर कब्ज़ा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकता है। समान राहत के लिए एक मुकदमे का मनोरंजन करना।

(4) इस धारा के प्रावधान किसी भी मामले में लागू नहीं होंगे, जिसमें किराएदार ने उसमें निहित किसी अधिकार के आधार पर समझौते को समाप्त कर दिया हो।

21. किराये का भुगतान न करने पर समाप्ति के खिलाफ राहत.- जहां मालिक, धारा 18 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार किराया-खरीद समझौते को समाप्त करने के बाद, एक मुकदमा दायर करता है या एक आवेदन करता है माल की वसूली के लिए किराएदार, और मुकदमे या आवेदन की सुनवाई में, किराएदार मालिक को बकाया किराए का भुगतान करता है या निविदा

देता है, साथ ही उस पर प्रत्येक ब्याज के साथ जो समझौते की शर्तों और लागतों के तहत देय हो सकता है मालिक द्वारा किए गए मुकदमे या आवेदन और ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करता है, यदि कोई हो, जिसे अदालत लगाना उचित समझे, तो अदालत, विशिष्ट डिलीवरी के लिए डिक्री या आदेश देने के बदले, किराएदार को राहत देने वाला आदेश पारित कर सकती है। समाप्ति के विरुद्ध; और उसके बाद किराये पर लेने वाले का माल पर कब्ज़ा बना रहेगा जैसे कि समझौता समाप्त नहीं हुआ हो।

22. अनधिकृत कार्य या स्पष्ट शर्तों के उल्लंघन के लिए समाप्ति के खिलाफ राहत - जहां किराया-खरीद समझौता के अनुसार समाप्त कर दिया गया है धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ए) या खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार, माल की वसूली के लिए किराएदार के खिलाफ मालिक द्वारा कोई मुकदमा या आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि मालिक किराएदार को सेवा नहीं दे देता है। लिखित सूचना.-

(ए) शिकायत किए गए विशेष उल्लंघन या कार्य को निर्दिष्ट करना; और

(बी) यदि उल्लंघन या कार्य का समाधान किया जा सकता है, तो किराएदार को इसका समाधान करने की आवश्यकता होती है, और किराएदार नोटिस की सेवा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उल्लंघन का समाधान करने या यदि ऐसा है तो कार्रवाई करने में विफल रहता है। उपाय करने में सक्षम.

23. प्रतियां और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मालिक का दायित्व.-

(1) मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह मालिक द्वारा हस्ताक्षरित किराया-खरीद समझौते की एक सच्ची प्रति निःशुल्क प्रदान करे।

(ए) किराएदार को, समझौते के निष्पादन के तुरंत बाद; और

(बी) जहां गारंटी का अनुबंध है, समझौते के तहत अंतिम भुगतान किए जाने से पहले किसी भी समय की गई मांग पर ज़मानत को।

(2) किराया खरीद समझौते के तहत अंतिम भुगतान किए जाने से पहले किसी भी समय, मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह किराएदार से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर किराएदार को आपूर्ति करे। इस संबंध में और किराये पर लेने वाला मालिक को खर्च के लिए एक रुपये की राशि देता है, मालिक या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान दिखाता है-

(ए) किराएदार द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई राशि:

(बी) वह राशि जो समझौते के तहत देय हो गई है लेकिन भुगतान नहीं की गई है, और वह तारीख जिस पर प्रत्येक भुगतान न की गई किस्त देय हो गई है, और ऐसी प्रत्येक किस्त की राशि और

(सी) वह राशि जो समझौते के तहत देय होगी, और निर्धारण की तारीख या तरीका वह तारीख जिस पर प्रत्येक भावी किस्त देय होगी, और ऐसी प्रत्येक किस्त की राशि।

(3) जहां उप-धारा (1), या उप-धारा (2) द्वारा लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने में उचित कारण के बिना विफलता होती है, तो, जबकि डिफ़ॉल्ट जारी रहता है, -

(ए) मालिक किराएदार के खिलाफ समझौते को लागू करने या समझौते से संबंधित गारंटी के किसी भी अनुबंध को लागू करने, या किराएदार से माल की वसूली के किसी भी अधिकार को लागू करने का हकदार नहीं होगा; और

(बी) समझौते के तहत देय धन के संबंध में किराएदार द्वारा दी गई कोई सुरक्षा या गारंटी के ऐसे अनुबंध के तहत देय धन के संबंध में ज़मानत द्वारा दी गई कोई भी सुरक्षा किराएदार या उसके किसी धारक द्वारा ज़मानत के खिलाफ लागू नहीं की जाएगी;

और यदि चूक दो महीने की अवधि तक जारी रहती है, तो मालिक को जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(4) उप-धारा (3) में किसी भी बात को मालिक या किराएदार के खिलाफ या मालिक और किराएदार दोनों के खिलाफ किसी भी आरोप या बाधा को लागू करने के तीसरे पक्ष के अधिकार को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा, जिसके तहत किराए के अंतर्गत आने वाले सामान- खरीद अनुबंध विषय हैं।"

(26) **सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली**[14], (14) में, यह माना गया कि अनुबंध में एक अचेतन अवधि शून्य होगी। उक्त निर्णय के पैरा 78 से 82 में यह देखा गया कि यद्यपि 19वीं शताब्दी में। अनुबंध की स्वतंत्रता का नियम था, न्यायालयों ने सौदेबाजी की शक्ति की असमानता के आधार पर कुछ समझौतों को लागू करने से इनकार करने के लिए उपकरण विकसित किए। फैसले का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

78. हालाँकि इस प्रकार के अनुबंध अवैध या शून्य थे। उदाहरण के लिए, जैसा भी मामला हो, सामान्य कानून में जो लोग सार्वजनिक नीति के विपरीत हैं या अपराध या अपकृत्य जैसी कानूनी गलती करते हैं, उनके लिए सामान्य नियम अनुबंध की स्वतंत्रता का था। इस नियम को उन्नीसवीं सदी में इस आधार पर पूर्ण रूप से लागू किया गया था कि पक्षकार अपने हितों के लिए सर्वश्रेष्ठ

[14] AIR 1986 SC 1571

न्यायाधीश थे, और यदि वे स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से किसी अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो न्यायालय का एकमात्र कार्य इसे लागू करना था। यह महत्वहीन माना जाता था कि एक पक्ष आर्थिक रूप से दूसरे की तुलना में अधिक मजबूत सौदेबाजी की स्थिति में था; और यदि ऐसी पार्टी ने उन खंडों में अपने दायित्व के लिए योग्यताएं और अपवाद पेश किए हैं जिन्हें आज "छूट खंड" के रूप में जाना जाता है और दूसरे पक्ष ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, तो पार्टियों की सहमति पर पूरा प्रभाव दिया जाएगा। हालाँकि, इक्विटी ने कठोर या अचेतन सौदेबाजी के कई मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसे कि दंड, ज़ब्ती और बंधक से संबंधित कानून में। इसने संकट में फंसे जहाज को प्रदान की गई बचाव सेवाओं के लिए कठोर या अचेतन अनुबंधों, या भावी उत्तराधिकारियों के साथ अचेतन अनुबंधों को रद्द करने में भी हस्तक्षेप किया, जिसमें एक व्यक्ति, आमतौर पर एक साहूकार, उस संपत्ति के बदले में वारिस को तैयार नकदी देता था जो उसने दी थी। विरासत में मिलने की उम्मीद करता है और इस तरह ऐसी संपत्ति को बेहद कम कीमत पर प्राप्त करेगा। इसने गरीब और अज्ञानी व्यक्तियों के साथ किए गए कठोर या अचेतन अनुबंधों में भी हस्तक्षेप किया, जिन्हें स्वतंत्र सलाह नहीं मिली थी (देखें चिट्टी या कॉन्ट्रैक्ट्स, पच्चीसवां संस्करण, खंड 1, पैराग्राफ 4 और 516)।

79. कानून ने कई मामलों में अनुबंध के एक पक्ष को दूसरे पक्ष का अनुचित या अनुचित लाभ लेने से रोकने के लिए भी हस्तक्षेप किया है। इस प्रकार के कानून के उदाहरण हैं सूदखोरी कानून, ऋण राहत कानून जो श्रमिकों के काम के घंटों और सेवा की शर्तों और सेवा से उनके अनुचित निर्वहन को विनियमित करते हैं, और एक पार्टी को किसी विशेष आवश्यक वस्तु को दूसरे को बेचने का निर्देश देने वाले नियंत्रण आदेश।

80. इस संबंध में, यह नोट करना उपयोगी होगा कि अनुबंध की स्वतंत्रता के पुराने विचारों के बारे में चिट्टी का क्या कहना है आधुनिक समय। प्रासंगिक अंश चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, पच्चीसवें संस्करण, खंड I, पैराग्राफ 4 में पाए जाते हैं, और इस प्रकार हैं: -

"इन विचारों ने आज काफी हद तक अपनी अपील खो दी है। 'अनुबंध की स्वतंत्रता', ऐसा कहा गया है, 'केवल उस हद तक एक उचित सामाजिक आदर्श है, जहां अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच सौदेबाजी की शक्ति की समानता मानी जा सकती है, और कोई नुकसान नहीं होता है बड़े पैमाने पर समुदाय के आर्थिक हितों के लिए किया गया।' अनुबंध की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है जब एक पक्ष के पास दूसरे द्वारा प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार करने या प्रस्तावित वस्तुओं या सेवाओं के बिना काम करने के बीच कोई विकल्प नहीं है। सार्वजनिक उपयोगिता उपक्रमों और अन्य द्वारा किए गए कई अनुबंध शर्तों के एक सेट का रूप लेते हैं एक पक्ष द्वारा पहले से तय किया गया है और दूसरे द्वारा चर्चा के लिए खुला नहीं है। इन्हें फ्रांसीसी वकीलों द्वारा 'अनुबंध आसंजन' कहा जाता है। व्यापारी अक्सर अनुबंध करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बातचीत की गई शर्तों पर नहीं, बल्कि एक व्यापार द्वारा तय किए गए अनुबंध के मानक रूप में निहित शर्तों पर एसोसिएशन। और किसी कर्मचारी के रोजगार अनुबंध की शर्तें उसके ट्रेड यूनियन और उसके नियोक्ता के बीच समझौते या रोजगार की वैधानिक योजना द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। ऐसे लेनदेन फिर भी अनुबंध हैं- इस बात के बावजूद कि अनुबंध की स्वतंत्रता में काफी हद तक कमी है .

जहां अनुबंध की स्वतंत्रता अनुपस्थित है, उपभोक्ताओं या जनता के सदस्यों को होने वाले नुकसान को कुछ हद तक परामर्श के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कानून द्वारा ऑफसेट किया गया है। कई क़ानून अनुबंधों में ऐसी शर्तें शामिल करते हैं जिन्हें पार्टियों को बाहर करने या यह घोषित करने से मना किया जाता है कि अनुबंध में कुछ प्रावधान शून्य होंगे। और न्यायालयों ने कमजोर लोगों पर आर्थिक रूप से मजबूत पार्टी द्वारा लगाए गए छूट खंडों को लागू करने से इनकार करने के लिए कई उपकरण विकसित किए हैं, हालांकि उन्होंने व्यापक रूप से घोषित करने के लिए किसी भी सामान्य शक्ति (कानून को छोड़कर) को मान्यता नहीं दी है कि छूट खंड नहीं होगा जब तक यह उचित न हो तब तक लागू किया जाता है। पुनः, अभी हाल ही में, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न्यायाधीशों ने 'सौदेबाजी की शक्ति की असमानता' के आधार पर संविदात्मक दायित्वों से राहत की संभावना को मान्यता दी है।"

जिसे फ़्रांसीसी लोग "कॉन्ट्रैक्ट्स डैडेशन" कहते हैं, अमेरिकी उसे "आसंजन कॉन्ट्रैक्ट्स" या "कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ़ एडहेसन" कहते हैं। एक "आसंजन अनुबंध" को ब्लैक लॉ डिक्शनरी के पांचवें संस्करण में पृष्ठ 38 पर इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"आसंजन अनुबंध"। सामान और सेवाओं के उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से 'इसे ले लो या छोड़ दो' के आधार पर मानकीकृत अनुबंध प्रपत्र की पेशकश की जाती है, उपभोक्ता को सौदेबाजी करने का वास्तविक अवसर प्रदान किए बिना और ऐसी शर्तों के तहत कि उपभोक्ता प्रपत्र अनुबंध को स्वीकार करने के अलावा वांछित उत्पाद या सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकता है। आसंजन अनुबंध की

विशिष्ट विशेषता यह है कि कमजोर पक्ष के पास इसकी शर्तों के संबंध में कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं होता है। ऐसा हर अनुबंध अचेतन नहीं है।"

81. अमेरिकी कानून के तहत स्थिति "कानून-दूसरे की बहाली" में बताई गई है, जैसा कि अमेरिकी कानून संस्थान, खंड- II द्वारा अपनाया और प्रख्यापित किया गया है, जो अनुबंध के कानून से संबंधित है, पृष्ठ 107 पर धारा 208 में, इस प्रकार है: -

एस 208. अचेतन अनुबंध या अवधि

यदि अनुबंध बनाते समय कोई अनुबंध या उसकी शर्त अनुचित है, तो न्यायालय अनुबंध को लागू करने से इनकार कर सकता है, या अनुबंध के शेष को अनुचित अवधि के बिना लागू कर सकता है, या किसी अनुचित शर्त के आवेदन को इस प्रकार सीमित कर सकता है कि इससे बचा जा सके। कोई भी अचेतन परिणाम।"

अनुभाग के अंतर्गत दी गई टिप्पणियों में पृष्ठ 107 पर कहा गया है:

"अच्छे विश्वास और निष्पक्ष व्यवहार (एस 205) के दायित्व की तरह। अनैतिक अनुबंधों या शर्तों के खिलाफ नीति विभिन्न प्रकार के आचरण पर लागू होती है। यह निर्धारण कि कोई अनुबंध या शर्त अनुचित है या नहीं, इसके आलोक में की जाती है इसकी सेटिंग, उद्देश्य और प्रभाव. प्रासंगिक कारकों में अनुबंध प्रक्रिया में कमज़ोरियाँ शामिल हैं जैसे कि अनुबंध क्षमता, धोखाधड़ी और अन्य अमान्य कारणों के रूप में अधिक विशिष्ट नियमों में शामिल; नीति उन नियमों के साथ भी ओवरलैप होती है जो सार्वजनिक राजनीति के आधार पर विशेष सौदेबाजी या शर्तों को अप्रवर्तनीय बनाती हैं। अनुचित अनुबंधों या शर्तों के खिलाफ पुलिसिंग कभी-कभी भाषा के प्रतिकूल निर्माण, प्रस्ताव और स्वीकृति के नियमों में हेरफेर या यह निर्धारित करके कि खंड सार्वजनिक नीति के विपरीत है, या अनुबंध के प्रमुख उद्देश्य के विपरीत है, पूरा किया गया है। समान वाणिज्यिक कोड एस. 2-302 टिप्पणी 1. एक सौदा केवल इसलिए अनुचित नहीं है क्योंकि इसके पक्ष सौदेबाजी की स्थिति में असमान हैं, न ही इसलिए भी कि असमानता के परिणामस्वरूप कमजोर पक्ष को जोखिम का आवंटन होता है। लेकिन सौदेबाजी की शक्ति की घोर असमानता। मजबूत पक्ष के लिए अनुचित रूप से अनुकूल शर्तों के साथ, ऐसे संकेतों की पुष्टि हो सकती है कि लेन-देन में धोखे या मजबूरी के तत्व शामिल हैं, या यह दिखा सकता है कि कमजोर पक्ष के पास कोई सार्थक विकल्प नहीं था, कोई वास्तविक विकल्प नहीं था, या वास्तव में सहमति नहीं दी थी या सहमति व्यक्त नहीं की थी अनुचित शर्तें।"

संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सल कमर्शियल कोड नामक एक क़ानून है जो माल की बिक्री से संबंधित अनुबंधों पर लागू होता है। हालाँकि यह क़ानून उन अनुबंधों पर लागू होता है जिनमें माल की बिक्री शामिल नहीं है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में "गैर-बिक्री" मामलों में बहुत प्रभावशाली साबित हुआ है। इसका उपयोग कई बार या तो सादृश्य द्वारा किया गया है या क्योंकि यह माल की बिक्री के लिए अपने वैधानिक आवेदन से परे निष्पक्षता के एक सामान्य स्वीकृत सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए महसूस किया गया था। उक्त धारा 208 पर रिपोर्टर के नोट में, पृष्ठ 112 पर कहा गया है:

"इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि आसंजन का अनुबंध अपने आप में अचेतन नहीं है, और यह कि सभी अचेतन अनुबंध आसंजन के अनुबंध नहीं हैं। फिर भी, समझौता जितना अधिक मानकीकृत होगा और एक पक्ष जितना कम सार्थक ढंग से सौदेबाजी करेगा, अनुबंध या शर्तें उतनी ही अधिक अचेतनता के दावे के प्रति संवेदनशील होंगी।"

(जोर दिया गया)

1982 में बटरवर्थ्स द्वारा प्रकाशित "द लॉ ऑफ अनजस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स" में जॉन आर. पेडेन द्वारा पृष्ठ 28-29 पर इस स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

....अचेतनता न्याय की अरिस्टोटेलियन अवधारणा और रोमन कानून लासियो एनॉर्मिस के साथ शुरू होने वाले चक्र के अंत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने बदले में मध्ययुगीन चर्च की उचित कीमत और सूदखोरी की निंदा की अवधारणा का आधार बनाया। ये दर्शन, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के दौरान, चांसरी कोर्ट की विवेकाधीन शक्तियों के अभ्यास में व्याप्त हो गए, जिसके तहत इसने सभी प्रकार के अनुचित लेनदेन को रोक दिया। इसके बाद उन्नीसवीं सदी में आर्थिक व्यक्तिवाद की ओर आंदोलन ने पार्टियों को अपना अनुबंध बनाने की स्वतंत्रता पर जोर देकर इन शक्तियों के प्रयोग को कठोर बना दिया। जबकि पैक्टा संट सर्वदा का सिद्धांत प्रभुत्व रखता था, सहमति सिद्धांत ने अभी भी उन अपवादों को मान्यता दी जहां एक पक्ष एक प्रत्ययी द्वारा अतिरंजित था, या दबाव के तहत या धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक अनुबंध में प्रवेश किया था। हालाँकि, ये अपवाद सीमित थे और इन्हें सख्ती से साबित करना पड़ता था।

यह सुझाव दिया गया है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान नागरिक और सामान्य कानून क्षेत्राधिकार दोनों में न्यायिक और विधायी प्रवृत्ति ने पहिया को लगभग पूर्ण चक्र में ला दिया है। अदालतों और संसद दोनों ने कमजोर पक्षों को कठोर अनुबंधों से अधिक सुरक्षा प्रदान की है। कई न्यायालयों में इसमें अचेतन अनुबंधों से राहत देने की एक सामान्य शक्ति शामिल थी, जिससे एक लॉन्चिंग बिंदु प्रदान किया गया जिससे अदालतों को अचेतनता का एक आधुनिक सिद्धांत विकसित करने का अवसर मिला। यूसीसी के अनुच्छेद 2.302 पर अमेरिकी निर्णय पहले ही कुछ हद तक नया क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं...." उपरोक्त परिच्छेद में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "लेसियो एनॉर्मिस" का अर्थ "लेसियो अल्ट्रा डिमिडियम वे एनोर्मिस" है, जिसका रोमन कानून में अर्थ है एक कठिन अनुबंध के पक्षकारों में से किसी एक को लगी चोट, जब वह किसी से आगे निकल गया हो। दूसरा, विषय वस्तु के मूल्य के आधे से अधिक की सीमा तक, उदाहरण के लिए, जब किसी विक्रेता को बेची

गई संपत्ति का आधा मूल्य नहीं मिला था, या खरीदार ने दोगुने से अधिक मूल्य का भुगतान किया था। कहावत "पैक्टा उपरोक्त परिच्छेद में संदर्भित सन्त सर्वंदा" का अर्थ है "अनुबंध रखे जाने हैं"।

82. हाल के कुछ अंग्रेजी मामलों से ऐसा प्रतीत होता है कि उस देश की अदालतों ने भी एक अचेतन सौदेबाजी की संभावना को पहचानना शुरू कर दिया है, जो उन पार्टियों के बीच भी आर्थिक दबाव के कारण हो सकती है, जो आर्थिक दृष्टि से अलग स्थिति में नहीं हो सकती हैं (देखें, उदाहरण के लिए, ऑक्सिडेंटल वर्ल्डवाइड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बनाम स्किब्स ए/एस अवंती (1976) 1 लॉयड्स प्रतिनिधि 203, नॉर्थ ओशन शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (1979) क्यूबी 705, पाओ ऑन बनाम लाउ यिन लॉन्ग (1980) एसी 614 और यूनिवर्स टैंकशिप्स ऑफ मोनरोविया बनाम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (1981) आईसीआर 129, उलट (1982) 2 डब्ल्यूईआर 803, और चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, पच्चीसवें संस्करण, खंड I, पैराग्राफ 486 में इन मामलों पर टिप्पणी।"

(27) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निर्मल सिंह कंडोला बनाम पंजाब राज्य और अन्य, सिविल रिट याचिका संख्या 16803, 1998, 6 सितंबर, 1999 को दिए गए फैसले पर इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें धारा 32 (जी) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जिसने देय राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी करने को अधिकृत किया था, को इस तर्क को निरस्त करते हुए बरकरार रखा गया कि ऐसे ऋणदाता को शक्ति प्रदान करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था 'निमो ज्यूडिस इन कॉज सुआ' (एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है) (अपने

स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना) लागू नहीं होगा। मेरे विचार में, किसी क़ानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्ति किसी समझौते के तहत किसी व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार से भिन्न स्तर पर होती है।

(28) 1, इसलिए, यह मानता है कि किसी हाइपोथेकेटी को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, हाइपोथेकेटेटी को संपत्ति पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, खासकर जब असमान सौदेबाजी की शक्ति हो, इसके विपरीत समझौते के बावजूद। वर्तमान मामले में, मेरा मानना है कि पुनर्ग्रहण खंड शून्य है। दूसरे प्रश्न का उत्तर तदनुसार दिया गया है कि याचिकाकर्ता का अधिकार केवल अदालत के माध्यम से शिकायतकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने का था, न कि बलपूर्वक वाहन पर कब्जा करने का।

(29) अब मैं तीसरा प्रश्न उठाता हूं, अर्थात्, क्या समझौते में फाइनेंसर को सक्षम करने वाला खंड 4 और उसे पहले से किए गए भुगतान को जब्त करने की अनुमति देना वैध है। मेरे विचार में, ऐसा कोई समझौता शून्य होगा। अधिनियम की धारा 74 अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे का प्रावधान करती है। अनुबंध के उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष अनुबंध का उल्लंघन करने वाले पक्ष से उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है, जो निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा, लेकिन यह अच्छी तरह से तय है कि यदि नामित राशि दंड के रूप में है, तो वास्तविक नुकसान से कोई संबंध नहीं है। भुगतना पड़ा, उसे लागू नहीं किया जा सकता। **फतेह चंद बनाम बालकिशन दास,** [15](15) में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का संदर्भ दिया गया है। **ब्रिज बनाम कैंबेल डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड** [16]में, (16)। इस तरह के खंड को नुकसान का वास्तविक पूर्व अनुमान

[15] AIR 1963 SC 1405
[16] 1962 AC 600 (1962 (1) All ER 385)

नहीं, बल्कि जुर्माना माना गया था। इसी तरह का दृष्टिकोण **गैलब्रेथ बनाम मिचेनॉल एस्टेट्स लिमिटेड**[17], (17) में लिया गया था। इसलिए, मेरा विचार है कि भुगतान की गई किसी भी राशि को जब्त करने की अनुमति देने वाला खंड शून्य होगा। देनदार द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि का हिसाब रखना होगा और उसके खाते में जमा करना होगा और लेनदार का अधिकार केवल शेष राशि की वसूली करना है।

(30) अब, मैं एक फाइनेंसर द्वारा अनुचित कब्ज़े के खिलाफ शिकायतकर्ता के उपचार के संबंध में प्रश्न संख्या 4 लेता हूं। निस्संदेह, उधारकर्ता के पास सिविल न्यायालय या उपभोक्ता न्यायालय में जाने का उपाय होगा। क्या आपराधिक कानून का उपाय वर्जित है? एक बार, यह माना जाता है कि समझौते पर लगाए गए लेबल के बावजूद लेनदार मालिक नहीं है और एक लेनदार के रूप में, फाइनेंसर अदालत के हस्तक्षेप के बिना संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, फाइनेंसर जबरन संपत्ति छीनने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगा . कौन सा अपराध शामिल है इसका निर्णय प्रत्येक मामले में किया जा सकता है। वर्तमान मामले में दायर शिकायत कायम है, हालांकि इसमें कौन से अपराध शामिल हैं इसकी जांच ट्रायल कोर्ट द्वारा की जाएगी। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता को पहले ही सुपरडारी पर वाहन दिया जा चुका है और मेरे विचार से शिकायतकर्ता ऐसे मामले में सुपरदारी पर वाहन पाने का हकदार है।

(31) अंत में, मैं पांचवां प्रश्न उठाता हूं कि क्या कार्यवाही रद्द की जा सकती है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, कार्यवाही इस स्तर पर रद्द करने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता कानून के मुताबिक

[17] 1964 (2) All ER 653

ट्रायल कोर्ट में मामला लड़ने के लिए स्वतंत्र होगा। निर्णय के उत्तरार्ध में की गई टिप्पणियों के अधीन, रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी जाती है।

(32) अब मैं अपने निष्कर्षों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता हूं:-

(ए) एक किराया-खरीद समझौता वास्तव में एक ऋण लेनदेन हो सकता है और ऐसे समझौते का लेबल निर्णायक नहीं है। यह निर्धारित करना न्यायालय के लिए खुला है कि कोई विशेष समझौता ऋण लेनदेन है या किराया-खरीद समझौता है। लागू किए जाने वाले पैरामीटर, अन्य बातों के अलावा, सुंदरन फाइनेंस लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान मामले में, हालांकि समझौते को किराया-खरीद समझौता कहा जाता है, पहले से उल्लिखित कारणों से इसे ऋण समझौता माना जाता है।

(बी) बंधक आधार पर माल के वित्तपोषण के लिए एक ऋण समझौते में, ऋणदाता बंधक वस्तु को जबरन वापस नहीं ले सकता है, हालांकि वह न्यायालय के माध्यम से सुरक्षा लागू कर सकता है।

(सी) यदि हाइपोथेकेटी द्वारा किसी वाहन या किसी अन्य सामान के पुनर्ग्रहण को अधिकृत करने वाले समझौते में एक विशिष्ट खंड डाला गया है, तो ऐसा खंड अनुचित हो सकता है, जब तक कि हाइपोथेकेटी द्वारा अन्यथा नहीं दिखाया गया हो और वर्तमान मामले में डाला गया ऐसा खंड

माना जाता है शून्य हो. वर्तमान समझौते में, पहले से भुगतान की गई किस्तों को जब्त करने की अनुमति देने वाले खंड 4 और खंड 7 को शून्य माना जाएगा।

(डी) न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना जबरन कब्ज़ा करने में अपराध शामिल हो सकता है और कौन सा अपराध किया गया है यह मामला किसी व्यक्ति के तथ्यों पर निर्भर करेगा । किराया खरीद मामलों में सुपरमे कोर्ट के फैसले यह मानते हुए कि किराया खरीद समझौते में, मालिक अपनी संपत्ति की चोरी का दोषी नहीं हो सकता है, उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां लेनदेन, वास्तव में, एक ऋण लेनदेन है, जैसा कि एक ऋण लेनदेन, स्वामित्व उधारकर्ता का होगा और किराया खरीद समझौते पर लागू सिद्धांत लागू नहीं होगा।

(33) हालांकि उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, रद्द करने की यह याचिका खारिज की जा सकती है, यदि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष बयान देता है कि वह न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकार को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा और जबरन कब्जे पर जोर नहीं देगा। ट्रायल कोर्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही बंद कर देगा।

(34) इस याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा